भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1940
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता

1940. श्री राजा राम सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मंत्रालय ने अधिवक्ताओं विशेषकर हाशिए पर स्थित समुदायों के युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार विशेषकर हाशिए पर स्थित समुदायों के युवा अधिवक्ताओं के लिए वजीफा प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि उन्हें मिलने वाले बहुत कम भुगतान की समस्या का समाधान किया जा सके ; और
(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित पहल का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उपर्युक्त प्रश्न के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 और संबंधित राज्य कल्याण अधिनियमों के अधीन, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों को विभिन्न आपात स्थितियों में अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सशक्त है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6(2) और धारा 7(2) के उपबंध के अनुसार, राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् को क्रमशः निर्धन, दिव्यांग या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से विहित रीति से एक या अधिक निधियों का गठन करने की शक्ति है। इस संबंध में, कुछ राज्य सरकारों ने अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने-अपने राज्य अधिनियमों के अधीन 'अधिवक्ता कल्याण निधि' और 'अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी समिति' का गठन भी किया है। भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय के पास अधिवक्ताओं, विशेष रूप से उपान्तीय समुदायों के युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं हैं।

****